

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 08/2019 वाद

रामेश्वरलाल

// बनाम //

किशनलाल व अन्य

दावा धारा 53, 188, 209 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 27.05.2019

वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई । वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा पेश किया है। जो तामील हेतु विचाराधीन है। उक्त वाद पत्र में कुछ फॉर्मल डिफेक्ट रह गया है। इसलिए अपना वाद इसी स्टैज पर विद्वा कर डिफेक्ट खत्म कर नया वाद पेश करना चाहता है। अतः वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद इसी स्टैज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

